



राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक - ई-18 / एम / जोन-जोधपुर / 2019 / दिनांक

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 15(1)एफडी / रूल्स / 2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में श्री विक्रम दास वैष्णव, कनिष्ठ सहायक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, सोजतसिटी, पाली जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 07.10.2016 है तथा दिनांक 06.10.2018 को दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करली है तथा कार्मिक द्वारा दिनांक 24.07.2014 को आरएससीआईटी एव दिनांक 16.10.2018 को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करली है को परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करने के पश्चात दिनांक 07.10.2018 से रूपये 20800(लेवल-5) पर वेतन नियतन करते हुए एतद द्वारा स्थाई किया जाता है।

कर्मचारी को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि 16.10.2018 से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक - ई-18 / एम / जोन-जोधपुर / 2019 / 7/8

दिनांक : 14/3/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, सोजतसिटी, पाली।
- 2 श्री विक्रम दास वैष्णव, कनिष्ठ सहायक को सूचनार्थ।
- 3 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 4 आदेश / रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर